न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 75 / 2021

1 श्रवण कुमार पुत्र खमाराम जाति नायक निवासी दुराना तहसील नव सृजित तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजा पुत्र खमाराम।
2 बीरबल पुत्र खमाराम।
3 राजु पुत्र खमाराम।
4 पाना देवी बेवा रामु।
5 मदनलाल पुत्र रामु।
6 निवास पुत्र धन्नाराम।
7 गौरा देवी बेवा मोहन।
8 शुभकरण पुत्र मोहन।
9 बनारसी पुत्री मोहन।
10 सुखी पुत्री मोहन।
11 गुडी पुत्री मोहन।
12 सरबती बेवा धर्मपाल।
13 दयाराम पुत्र धर्मपाल समस्त जाति नायक निवासीगण दुकाना तहसील झुंझुनू नव सृजित तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
14 भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी श्रवण कुमार
बनाम सुरजा वगैहर बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक
31.08.2021

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/1/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम दुराना तहसील व जिला झुंझुनू में वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की काश्त की जमीन अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर पुराना 92 तादादी 4 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.57 हैक्टेयर व 72 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134/2 तादादी 6 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 1.72, खसरा नम्बर 171 तादादी 8 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134/3/1 तादादी 6 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134/3/2 तादादी 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 184 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 185

BDL

रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.40 हैक्टेयर बने है। इस जमीन में से मुकन्दा ने जमीन जैर बहस गत खसरा नम्बर 92 तादादी 4 बीघा 13 बिस्वा की वसीयत वादी के हक में कर दी व वसीयत डीड राईटर घनश्याम से दिनांक 09.04.1981 को गवाहान के सामने लिखवाकर व गवाहान के सामने अपने हस्ताक्षर कर दिय। उप पंजियक झुंझुनू के यहां दिनांक 09.04.1981 को पेश किया जिस पर उप पंजियक ने वसीयत पेश होने पर वसीयत की रजिस्ट्रेशन फीस जमा की व यह वसीयत उप पंजियक के यहां पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3 पृष्ठ संख्या 7 से 9 पर दिनांक 23.04.1981 को दर्ज की गई है। वादी उक्त जमीन पर कब्जा काश्त है व लगान अदा करता है। मुकन्दाराम के देहान्त होने के बाद जमीन जैर बहस का नामान्तकरण उक्त मुकन्दाराम के वारिसान के नाम भरा गया उक्त समय वादी ही वादी के नाम से वसीयत के आधार पर गत खसरा नम्बर 92 तादादी 4 बीघा 13 बिस्वा वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। वादी के पिता के देहान्त होने पर जमीन जैर बहस में गत खसरा नम्बर 92 जिनके हाल खसरा नम्बर 62 व 72 को छोड़कर शेष जमीन में वादी के पिता खमाराम की जमीन में वादी का 1/5 हिस्सा होने से नामान्तकरण संख्या वादी के हक हकुकों के खिलाफ बेअसर होने से निरस्त किया जाकर के जमीन जैर बहस में खमाराम के हिस्से की जमीन में वादी के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि जमीन जैर बहस वर्णित धारा 2 वाद पत्र में मुकन्दाराम द्वारा की गई वसीयत के आधार पर गत खसरा नम्बर 92 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 69 तादादी 0.57 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 72 तादादी 0.61 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। जमीन जैर बहस में नामान्तकरण संख्या 57 तस्दीक दिनांक 20.11.1988 में दर्ज खमाराम के वारिसान में वादी का नाम दर्ज होने नामान्तकरण संख्या 57 वादी के हक हकुकों पर बेअसर घोषित किया जाकर जमीन जैर बहस वर्तमान खसरा नम्बर

69 व 72 में वादी को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष जमीन में खमाराम के हक व हिस्से की जमीन में वादी को 1/5 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने अपने दावे में मुकन्दा की स्वअर्जित काश्त की जमीन गत खसरा नम्बर 92 तादादी 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 69 तादादी 0.57 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 72 तादादी 0.61 हैक्टेयर की वसीयत उक्त मुकन्दा ने वादी के हक में वसीयत दिनांक 09.04.2081 को लिखवाकर उप पंजियक झुंझुनू के यहां रजिस्टर्ड करवाई है व वादी ने अपने दावे में बयान पी.डब्ल्यू 1 श्रवण में यह दस्तावेजात प्रदर्श साबित किया है परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि जब वसीयत अस्तित्व में है व अन्तिम है व वसीयत को किसी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है तो वसीयत को सही मानकर के वसीयत में दर्ज काश्त की जमीन की खातेदारी वादी के नाम से घोषित करना चाहिए था। अपीलांट खमाराम का पुत्र है व इस बाबत अपने बयान पी.डब्ल्यू 1 व दावा में साबित है व इसका खण्डन भी नहीं है। अदालत मातहत में बयान पी.डब्ल्यू 1 श्रवण कुमार ने अपने मुख्य शपथ पत्र की धारा 2 के अन्तिम लाईन में साफ दर्ज कर रखा है कि यह मुकन्दा की अन्तिम वसीयत है। इसका कही भी खण्डन नहीं है। अदालत मातहत मे अपीलांट ने अपने बयान पी.डब्ल्यू 1 में स्वयं का मुकन्दा का पौत्र व खमाराम का पुत्र होना दर्ज कर रखा है परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नही कर केवल यह दर्ज कर कि अपीलांट मुकन्दा वसीयत कर्का का पौत्र व खमाराम का पुत्र होना साबित नही कर सका व वसीयत अन्तिम होना भी साबित नही कर सका परन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त बयान पी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

डब्ल्यू 1 का गौर ना कर मनमाने रूप से निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अत अपील स्वीक़ार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय वादी अपीलांट अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी, नामान्तकरण, मिलान क्षेत्रफल, पंजिकृत मूल वसीयत साक्ष्य में प्रस्तुत की है एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किये है विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन कर पुन निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6-11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर